[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2015

सा.का.नि. .....(अ) केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 133 और कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 210क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और लेखा मानकों पर राष्ट्रीय सलाहकार समिति के साथ परामर्श करके निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 है।

(2) ये 01 अप्रैल, 2015 को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं - (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "लेखा मानक" से नियम 3 में यथाविनिर्दिष्ट कंपनियों अथवा कंपनियों के वर्ग के लिए लेखा के मानक या उसकी कोई युक्तिका अभिप्रेत है।

(ख) "अधिनियम" से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) अभिप्रेत है;

(ग) इन नियमों के संबंध में "उपाबंध" से इन नियमों से संलग्न भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) वाला उपाबंध अभिप्रेत है;

(घ) "निकाय" से अधिनियम की धारा 2 के खंड (20) में यथापरिभाषित कंपनी अभिप्रेत है।

(ङ) "वित्तीय विवरण" से अधिनियम की धारा 2 के खंड (40) में यथापरिभाषित वित्तीय विवरण अभिप्रेत है।

(च) "शुद्ध मूल्य" का वही अर्थ है जो अधिनियम की धारा 2 के खंड (57) में दिया गया है।

2. यहां प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों, जिन्हें इन नियमों में परिभाषित नहीं किया गया है किंतु अधिनियम में परिभाषित किया गया है, के क्रमश: वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में दिए गए हैं।

3. लेखा मानकों का लागू होना, - (1) **उपाबंध** में यथाविनिर्दिष्ट लेखा मानक, जिन्हें भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) कहा जाएगा, नियम 4 में विनिर्दिष्ट कंपनियों के वर्ग को लागू लेखा मानक होंगे।

(2) कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2006 के **उपाबंध** में यथाविनिर्दिष्ट लेखा मानक, नियम 4 में विनिर्दिष्ट कंपनियों के वर्गों से भिन्न कंपनियों के लिए लागू लेखा मानक होगें।

(3) कोई कंपनी जो नियम 4 के प्रावधानों के अनुसार इन नियमों के **उपाबंध** में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) का पालन करती है, को केवल ऐसे मानकों का पालन करना होगा।

(4) यदि कोई कंपनी जो, कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2006 के **उपाबंध** में विनिर्दिष्ट लेखा मानकों का पालन करती है तो उसे ऐसे मानकों का ही पालन करना होगा और इन नियमों के **उपाबंध** में विनिर्दिष्ट मानकों का नहीं।

4. **भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) का अनुपालन करने की बाध्यता -** (1) कंपनियां और उनके लेखापरीक्षक क्रमश: अपने वित्तीय विवरण तैयार करते समय और लेखापरीक्षा करते समय इन नियमों के **उपाबंध** में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) का निम्नलिखित रीति से अनुपालन करेंगे, अर्थात् :-

(i) कोई कंपनी 31 मार्च, 2015 को समाप्त या उसके बाद की अवधि के लिए तुलनात्मक आंकडों के साथ 01 अप्रैल, 2015 को या उसके बाद आरंभ होने वाली लेखा अवधियों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु, भारतीय लेखा मानकों (ईंड एएस) का अनुपालन कर सकती है;

(ii) निम्नलिखित कंपनियां 31 मार्च, 2016 को समाप्त या उसके बाद की अवधि के लिए तुलनात्मक आँकड़ों के साथ 01 अप्रैल, 2016 को या उसके बाद आरंभ होने वाली लेखा अवधि के लिए, भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) का अनुपालन करेंगी; अर्थात्

(क) कंपनियां जिनकी साम्या अथवा ऋण प्रतिभूतियां भारत में अथवा भारत के बाहर किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं या सूचीबद्ध होने की प्रक्रिया में हैं और जिनका शुद्ध मूल्य पाँच सौ करोड़ रू या अधिक है;

(ख) उपनियम (1) के खंड (ii) के उपखंड (क) में समावेशित कंपनियों से भिन्न कंपनियां जिनका शुद्ध मूल्य पाँच सौ करोड़ रू या अधिक है;

(ग) उपनियम (1) के खंड (ii) के उपखंड (क) और उपनियम (1) के खंड (ii) के उपखंड (ख) जैसा भी मामला हो, में समावेशित कंपनियों की धृति, समनुषंगी, सह उद्यम अथवा सहयुक्त कंपनियां; और

(iii) निम्नलिखित कंपनियां 31 मार्च, 2017 को समाप्त या उसके बाद की अवधि के लिए तुलनात्मक आंकड़ों के साथ 01 अप्रैल, 2017 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली लेखा अवधियों के लिए भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) का अनुपालन करेंगी, अर्थात् :-

(क) ऐसी कंपनियां जिनकी साम्या या ऋण प्रतिभूतियां भारत में या भारत के बाहर किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं या सूचीबद्ध होने की प्रक्रिया में हैं और जिनका शुद्ध मूल्य पाँच सौ करोड़ रुपए से कम है।

(ख) उपनियम (1) के खंड (ii) और उपनियम (1) के खंड (iii) के उपखंड (क) में समावेशित कंपनियों से भिन्न कंपनियां व असूचीबद्ध कंपनियां जो दौ सौ पचास करोड़ रुपए या उससे अधिक किंतु पाँच सौ करोड़ रुपए से कम के शुद्ध मूल्य रखती है।

(ग) उपनियम (1) के खंड (iii) के उपखंड (क) और उपनियम (1) के खंड (iii) के उपखंड (ख), जैसा भी मामला हो, के अधीन समावेशित कंपनियों की धृति, समनुषंगी, सह उद्यम या सहयुक्त कंपनियां।

परंतु यह कि खंड (i) के अलावा इस उपनियम की कोई बात अध्याय 10ख में यथानिर्दिष्ट एसएमई एक्सचेंज पर या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी जारी करना और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2009 के अध्याय 10ग के प्रावधानों के अनुसार प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के बिना इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफार्म पर सूचीबद्ध या सूचीबद्ध किए जाने की प्रक्रियाधीन प्रतिभूतियों वाली कंपनियों के लिए लागू नहीं होगी।

स्पष्टीकरण 1, - एसएमई एक्सचेंज का वही अर्थ होगा जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी जारी करना और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2009 के अध्याय 10ख में समनुदेशित है।

स्पष्टीकरण 2, - "तुलनात्मक आंकड़े" से पिछली लेखा अवधि के लिए तुलनात्मक आंकड़े अभिप्रेत हैं।

(2) उपनियम (1) के अधीन कंपनियों के शुद्ध मूल्य की गणना के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित नियम लागू होंगे, अर्थात् :-

(क) शुद्ध मूल्य की गणना 31 मार्च, 2014 को कंपनी के अकेले वित्तीय विवरणों या उस तारीख के पश्चात् समाप्त होने वाली लेखा अवधि के लिए पहले लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार की जाएगी।

(ख) 31 मार्च, 2014 को विद्यमान नहीं रहने वाली कंपनियों या 31 मार्च, 2014 के पश्चात् पहली बार उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट किसी न्यूनतम सीमा के अधीन आने वाली कंपनी के लिए शुद्ध मूल्य की गणना उस तारीख के पश्चात् समाप्त होने वाले प्रथम लेखापरिक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर की जाएगी जिसके संबंध में वह कंपनी उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट न्यूनतम सीमा प्राप्त करती है।

स्पष्टीकरण - उपखंड (ख) के प्रयोजन के लिए किसी लेखा वर्ष के अंत में पहली बार उपनियम (1) में दी गई विनिर्दिष्ट न्यूनतम सीमा प्राप्त करने वाली कंपनियां ठीक अगले लेखा वर्ष से उपनियम (1) में यथाविनिर्दिष्ट रीति से भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) लागू करेंगी।

दृष्टांत - (i) 31 मार्च, 2017 को पहली बार न्यूनतम सीमा प्राप्त करने वाली कंपनियों के लिए वित्त वर्ष 2017-18 से इंड एएस लागू होंगे।

(ii) इसी प्रकार 31 मार्च, 2018 को पहली बार न्यूनतम सीमा प्राप्त करने वाली कंपनियों के लिए वित्त वर्ष 2018-19 में और उसके आगे इंड ए एस लागू होंगे।

(3) इन नियमों के अनुसार एक बार अनुपालन हेतु अपेक्षित इन नियमों के **उपाबंध** के मानक अकेले वित्तीय विवरण और समेकित वित्तीय विवरण दोनों के लिए लागू होंगे।

(4) जिन कंपनियों पर इन नियमों में यथाविनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) लागू होते हैं, वे कंपनियां अपनी पहली भारतीय लेखा मानक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रभावशील भारतीय लेखा मानकों के अनुसार पहला वित्तीय विवरण तैयार करेंगी।

स्पष्टीकरण - शंकाओं के निराकरण के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि 1 अप्रैल, 2016 से प्रारंभ होने वाली लेखा अवधि के लिए भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) का उपयोजन करते हुए वित्तीय विवरण तैयार करने वाली कंपनियां 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के लिए भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) का उपयोजन करेंगी।

(5) किसी भारतीय कंपनी की विदेशी समनुषंगी, सहयुक्त, सह उद्यम, अन्य इसी प्रकार की सत्ता विनिर्दिष्ट अधिकारिता की अपेक्षाओं के अनुसार अपने अकेले वित्तीय विवरण तैयार करेंगी।

परंतु यह कि ऐसी भारतीय कंपनी भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) के अनुसार या तो स्वेच्छा से या आज्ञापक अपना समेकित वित्तीय विवरण तैयार करेगी, यदि वह उपनियम (1) में यथाविनिर्दिष्ट मानदंड पूरा करती है।

(6) भारतीय कंपनी, जो एक विदेशी कंपनी की समनुषंगी, सहयुक्त, सह उद्यम तथा इसी प्रकार की सत्ता है, उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करती है तो अपना वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) के अनुसार स्वैच्छिक या आज्ञापक रूप से तैयार करेगी।

(7) कोई कंपनी उप नियम (1) में यथा विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक (इंड एस) स्वेच्छा से लागू करना चाहती है तो इसके बाद निरंतर अपना वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) के अनुसार तैयार करेगी।

(8) भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) को स्वैच्छिक रूप से एक बार लागू करने के बाद अप्रतिसंहरणीय होगा और ऐसी कंपनियों को कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2006 के **उपाबंध 'ख'** में विनिर्दिष्ट लेखा मानकों के अनुसार वित्तीय विवरण का दूसरा समुच्चय तैयार करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(9) एक कंपनी एक बार नियम 4 के उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट मानदंडों भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) का स्वैच्छिक या आज्ञापक रूप से पालन करना प्रारंभ कर देती है तो उसे तत्पश्चात् सभी वित्तीय विवरणों के लिए भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) का पालन करना अपेक्षित होगा चाहे इस नियम में विनिर्दिष्ट कोई मानदंड तत्पश्चात् उस पर लागू नहीं हो।

5. **छूट -** इंश्योरेंस कंपनियों, बैंकिंग कंपनियों और गैर बैंकिंग कंपनियों को नियम 4 के उपनियम (1) में यथाविनिर्दिष्ट अपना वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए स्वैच्छिक रूप से या आज्ञापक रूप से भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) लागू करने की आवश्यकता नहीं होगी।

[फा.सं. 01/01/2009-सीएल-V(पार्ट)]

[अजय दास मेहरोत्रा]
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

उपाबंध

[नियम 3 देखें]

क. **साधारण अनुदेश - (1)** भारतीय लेखा मानक, जो विनिर्दिष्ट किए गए हैं, लागू विधियों के प्रावधानों के साथ पुष्टिकरण के लिए आशयित हैं। तथापि, यदि तत्पश्चात् विधि में संशोधन होते हैं तो एक विशिष्ट भारतीय लेखा मानक ऐसी विधि के पुष्टिकारक नहीं होते हैं, उक्त विधि के प्रावधान प्रचलित होंगे और वित्तीय विवरण ऐसी विधि के पुष्टिकरण अनुसार तैयार किए जाएंगे।

(2) भारतीय लेखा मानक केवल उन मदों पर लागू होना आज्ञापित है जो तात्विक हैं।

(3) भारतीय लेखा मानक के अंतर्गत बोल्ड इटालिक प्रकार तथा सादे प्रकार के पैराग्राफ समुच्चय हैं, जो समान प्राधिकार रखते हैं। बोल्ड इटालिक प्रकार के पैराग्राफ मुख्य सिद्धांतों को उपदर्शित करते हैं। एक व्यष्टि भारतीय लेखा मानक उस भारतीय लेखा मानक के उद्देश्य, यदि कथित किए गए हैं तो, के सदंर्भ में और इन साधारण अनुदेशों के अनुसार पढ़ा जाएगा।

ख. **भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)**